

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में

- 1- मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
- 2- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।



पत्रांक:-सू०प्र०/ 385-90 /दिशा निर्देश/2025-26 दिनांक 12 सितम्बर, 2025

विषय:- जन-सामान्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में समझ की वृद्धि करने के लिए विद्यालयों में डिवेट/निबन्ध प्रतियोगिता/कला प्रतियोगिता/नुक्कड़ नाटक के आयोजन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या 325816 दिनांक 27.08.2025 के साथ संलग्न मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या 9982/उ०सू०अ०/2025-26 दिनांक 05.08.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो जन-सामान्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में समझ की वृद्धि करने के लिए विद्यालयों में डिवेट/निबन्ध प्रतियोगिता/कला प्रतियोगिता/नुक्कड़ नाटक के आयोजन कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में सीमित वित्तीय संसाधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी रूप से समझ की वृद्धि करने के लिए राज्य में प्रतिवर्ष दिनांक 05 से 12 अक्टूबर के मध्य RTI Week का आयोजन किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा दिये गये यथा निर्देशों का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीया

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/ सू०प्र०/ 385-90 /दिशा निर्देश/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य सूचना आयुक्त, मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून को सूचनार्थ।
- 2- अनुसचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।
- 3- समस्त उप शिक्षा अधिकारी, द्वारा- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।